



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09102023-249277
CG-DL-E-09102023-249277

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4213]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 9, 2023/ आश्विन 17, 1945

No. 4213]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 9, 2023/ASVINA 17, 1945

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2023

का.आ. 4384(अ).—मध्यकता अधिनियम, 2023 (2023 का 32) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा 9 अक्टूबर, 2023 को उक्त अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं के प्रावधान लागू होने की तारीख के रूप में निर्धारित करती है, अर्थात्:

- (1) धारा 1;
- (2) धारा 3;
- (3) धारा 26;
- (4) धारा 31 से 38 (दोनों सम्मिलित);
- (5) धारा 45 से 47 (दोनों सम्मिलित);
- (6) धारा 50 से 54 (दोनों सम्मिलित); और
- (7) धारा 56 से 57 (दोनों सम्मिलित);

[फा. सं. ए-60011/45/2023-एडीआर]

डॉ. राजीव मणि, अपर सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**(Department of Legal Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th October, 2023

S.O. 4384(E).— In the exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Mediation Act, 2023 (32 of 2023), the Central Government hereby appoints the 9th day of October, 2023 as the date on which the provision of the following sections of the said Act shall come into force, namely:-

- (1) Section 1;
- (2) Section 3;
- (3) Section 26;
- (4) Sections 31 to 38 (both inclusive);
- (5) Sections 45 to 47 (both inclusive);
- (6) Sections 50 to 54 (both inclusive); and
- (7) Sections 56 to 57 (both inclusive);

[F. No. A-60011/45/2023-ADR]

Dr. RAJIV MANI, Addl. Secy.